न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, गोपालगंज।

सत्रवाद संख्याः–639/2022, जादोपुर थाना कांड संख्या–148/2022
सरकार
बनाम
असलम अंसारी एवं अन्य

दिनांकः–19.11.2025

एक मात्र अभियुक्त असलम अंसारी की हाजिरी दी गयी है। अभियोजन की ओर से एक आवेदन इस आशय का दिया गया है कि सत्रवाद संख्या 639/2022, सत्रवाद संख्या 514/2023 एवं सत्रवाद संख्या 812/2023 एक ही थाना कांड संख्या जादोपुर थाना कांड संख्या 148/2022 से संबंधित है। तीनों वाद में आरोप गठन हो चुका है एवं तीनों अभिलेख साक्ष्य हेतु श्रीमान् के न्यायालय में लंबित है। अतः तीनों वादों को एकीकृत करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि तीनों सत्रवाद जादोपुर थाना कांड संख्या 148/2022 से संबंधित है। तीनों अभिलेख साक्ष्य हेतु लंबित है। न्यायहित में तीनों वादों का विचारण एक साथ किया जाना आवश्यक है। अतः सत्रवाद संख्या 639/2022, सत्रवाद संख्या 514/2023 एवं सत्रवाद संख्या 812/2023 को एकीकृत करने का आदेश दिया जाता है।

अब यह वाद सभी 05 अभियुक्तों 1. असलम अंसारी, 2. फिरोज अंसारी, 3. ढ़ोढ़ा मियॉ, 4. कसीदन खातुन एवं भानु अंसारी के विरूद्ध विचारण हेतु लंबित रहेगा।

अभियोजन साक्षी मैनुदीन मियॉ की हाजिरी दी गयी है। वाद के पुकार पर सभी 05 अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अभियोजन साक्षी संख्या 05 मैनुदीन मियॉ का मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण पूर्ण हुआ एवं साक्षी को उसके साक्ष्य से मुक्त किया गया।

वाद दिनांक–02.12.2025 वास्ते साक्ष्य।

लेखापित

D.A.J.-I[st]